रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-एम.एच.-अ.-05122025-268274 CG-MH-E-05122025-268274

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 787] No. 787] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2025/अग्रहायण 12, 1947

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2025/AGRAHAYANA 12, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिसूचना

मुंबई, 3 दिसम्बर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/285.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्-

- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- 2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से तीसवें दिन लागू होंगे।

8123 GI/2025 (1)

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 में, विनियम 30क में, उप-विनियम (1) में, मौजूदा खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(घक) उस व्यक्ति पर लागू होगी, जो -

- (i) न्यूनतम नेटवर्थ (शुद्ध-मालियत) या न्यूनतम लिक्किड नेटवर्थ के संबंध में निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा कर पाने में असफल रहे;
- (ii) अनुमत कार्यों आदि से कम से कम उतनी आमदनी कर पाने में असफल रहे जितनी आमदनी करने का मानदंड निर्धारित हो, हालाँकि यदि बोर्ड द्वारा समय-समय पर कोई छूट दी जाए तो उस स्थिति मे यह नहीं माना जाएगा कि वह व्यक्ति उस मानदंड को पूरा करने में असफल रहा;
- (iii) अपने कार्य आदि अलग बिजनेस यूनिट बनाकर उस बिजनेस यूनिट में ट्रांसफर करने (जैसा बोर्ड बताए) में असफल रहे:"

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./523/2025-26]

पाद टिप्पण:

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा 26 मई, 2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 तत्पश्चात्-
 - क) 11 अगस्त, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/20/134766, द्वारा
 - ख) 14 जुलाई, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/12/169546, द्वारा
 - ग) 7 जनवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12, द्वारा
 - घ) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/006, द्वारा
 - ङ) 21 नवम्बर, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/021, द्वारा
 - च) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
 - छ) 21 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/07, द्वारा

- ज) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/20, द्वारा
- झ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
- ञ) 17 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/59, द्वारा
- ट) 1 अगस्त, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/आईएडी-एनआरओ/जीएन/2022/91, द्वारा
- ठ)
 29 अगस्त, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2024,

 अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/201, द्वारा
- ड) 6 दिसम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/216, द्वारा
- ढ) 10 फरवरी, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/226, द्वारा
- ण) 21 मार्च, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/237, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd December, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(INTERMEDIARIES) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

- **F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/285.** In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, namely—
- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Third Amendment) Regulations, 2025.
- 2. They shall come into force on the thirtieth day from the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, in regulation 30A, in sub-regulation (1), after the existing clause (d), the following clause shall be inserted, namely,-
 - "(da) a person which fails to
 - (i) meet the specified criteria of minimum net worth or the minimum liquid net worth requirements;
 - (ii) meet the criteria for minimum revenue generation from permitted activities, subject to exemptions as may be specified by the Board from time to time;
 - (iii) transfer activities, as may be specified by the Board, to a separate business unit;"

AMIT PRADHAN, Executive Director [ADVT.-III/4/Exty./523/2025-26]

Footnotes:

- 1. The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was published in the Gazette of India on May 26, 2008 vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538.
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was amended on
 - a) August 11, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2008, vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/ 20/134766.
 - b) July 14, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2009, vide notification no. LAD-NRO/GN/2009-10/12/169546.
 - c) January 7, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, vide notification no. LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.
 - d) May 25, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/006.
 - e) November 21, 2017, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2017, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/021.
 - f) April 17, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - g) January 21, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/07.
 - h) May 5, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/20.

- i) August 3, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- j) November 17, 2021,by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/59.
- k) August 1, 2022, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/91.
- 1) August 29, 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2024, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/201.
- m) December 6, 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2024, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/216.
- n) February 10, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2025, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/226.
- o) March 21, 2025, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2025, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/237.